न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 51/2019 दायर दिनाँक 06.02.2019

वादी

1. गोरधनराम पुत्र भागुराम जाति मेघवाल उम्र 40 वर्ष निवासी पाबुपुरा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. मोहनराम पुत्र पुसाराम
2. नानूराम पुत्र पुसाराम (फौत)

2/1 सुरेश कुमार पुत्र नानूराम
2/2 बाबुलाल पुत्र नानुराम
2/3 केसर देवी पुत्री नानुराम
2/4 झमकु देवी पुत्री नानुराम
2/5 नन्दू देवी पत्नि नानुराम
2/6 राजेश पुत्र नानुराम

3. श्रवण कुमार पुत्र पुसाराम (फौत)
4. रामेश्वर लाल पुत्र पुसाराम
5. बालूराम पुत्र भागुराम
6. मुन्नी देवी पुत्री भागुराम
7. कनीदेवी पुत्री भागुराम
8. गोपाल पुत्र चूनाराम
9. शिवपाल पुत्र चूनाराम
10. कंवराराम पुत्र चूनाराम
11. मदनलाल पुत्र चूनाराम
12. सोनीदेवी पुत्री चूनाराम
13. कमला देवी पुत्री चूनाराम
14. सुखीदेवी पुत्री चूनाराम
15. उमी देवी पत्नि चूनाराम
16. कानाराम पुत्र गोगाराम
17. सुभाषचन्द पुत्र गोगाराम
18. ग्यारसी पुत्री गोगाराम
19. सरोज देवी पुत्री गोगाराम
20. पेमी देवी पत्नि गोगाराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण पाबुपुरा, धनकोली, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
21. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री लालसिंह गोदारा वकील वादी।
2. श्री रामस्वरूप शर्मा वकील प्रति0 सं0 1, 4, 5, 8, 10, 11, 16 की ओर से।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **19.09.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 20 के सयुक्त कब्जा काश्त व पैत्रिक खातेदारी के खेत खसरा सं0 963 रकबा 24 बीघा 07 बिस्वा वाकै सरहद ग्राम धनकोली पटवार हल्का धनकोली, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र धनकोली तहसील डीडवाना व खसरा सं0 1081 रकबा 24 बीघा 03 बिस्वा वाके सरहद ग्राम डाकीपुरा पटवार हल्का डाकीपुरा भू–अभिलेख निरीक्षण क्षैत्र धनकोली तहसील डीडवाना में अवस्थित है उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज की पैत्रिक कृषि रही है तथा उक्त कृषि भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से रही तथा उनके दादा के स्वर्गवास के बाद उक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण इाके पिता के नाम से रही है तथा अब उक्त कृषि भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण का नाम सयुक्त खातेदारी में दर्ज है। एव काबिज काश्त है। नकल खतौनी व रेवन्यू ट्रेश नक्शा पेश है।

उपरोक्त खेत खसरा सं0 963 रकबा 24 बीघा 07 बिस्वा वाकै सरहद ग्राम धनकोली पटवार हल्का धनकोली, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र धनकोली तहसील डीडवाना व खसरा सं0 1081 रकबा 24 बीघा 03 बिस्वा वाके सरहद ग्राम डाकीपुरा पटवार हल्का डाकीपुरा भू–अभिलेख निरीक्षण क्षैत्र धनकोली तहसील डीडवाना के खेताय में वादी व प्रतिवादीगण के बीच में पूर्व में वर्षो पहले मौखिक रूप से बंटवारा हो गया था। एवं मौखिक बंटवारा अनुसार मौके पर सींवे–नीवें कायम कर वादी व प्रतिवादीगण अपनी–अपनी पैत्रिक कृषि भूमि में सलग्न नजरी नक्शा अनुसार काबिज काश्त हो गये परन्तु उक्त पैत्रिक कृषि भूमि का विधिवत बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नही हुआ है। जो बंटवारा अनुसूची "ए" संलग्न नजरी नक्शा अनुसार हुआ है। तथा नजरी नक्शा अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण की उपरोक्त खसरा सं0 963 व 1081 में मौके पर कब्जा काश्त है। जो बंटवारा अनुसूची "ए" सलग्न नजरी नक्शा अनुसार हुआ है तथा नजरी नक्शा अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण की उपरोक्त खसरा सं0 963 व 1081 में मौके पर कब्जा काश्त है।

यह है कि वादी के पिता व प्रतिवादी सं0 1 ता 20 के पूर्वजो के समय से पैत्रिक कृषि भूमि की खातेदारी चली आ रही है तथा वादी के पिता भागू का उक्त जायगा पर मौखिक बंटवारा अनसुार 1/3 भाग था तथा उन्ही के 1/3 भाग के 1/2 भाग पर वादी व प्रतिवादी सं0 05 काबिज काश्त है तथा वादी की दो बहिने विवाहिता होकर अपने–अपने ससुराल में आबाद होने के कारण उक्त पैत्रिक समस्त कृषि भूमि वादी के पिता भागू की 1/3 भाग पर वादी व प्रतिवादी सं0 5 की काबिज काश्त है। तथा प्रतिवादीगण सं0 8 ता 20 के पिता व दादा के नाम वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में चूना के नाम से ही दर्ज है लेकिन उक्त चुना का भी स्वर्गवास हो गया है इसलिए उनके जायज एवं विधिक वारिसानों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में उनकी हक व हंट मुजब भूमि में दर्ज करवाने हेतु एवं विधिक बंटवारा संलग्न नजरी नक्शा [illegible] करवाने हेतु यह वाद श्रीमान के समक्ष पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादी इस प्रकार है:–

1. यह है कि खसरा सं0 963 रकवा 24 बीघा 07 बिस्वा वाकै सरहद धनकोली में से प्रतिवादी सं0 5 ता 7 व 9 ता 20 का नाम हटाया जाकर उक्त खसरा नम्बरान की भूमि का बंटवारा नजरी नक्शा अनुसार 04 बीघा 02 बिस्वा व खसरा नम्बर 1081 रकबा 24 बीघा 03 बिस्वा सरहद डाकीपुरा में से 04 बीघा भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जावें तथा नजरी नक्शा अनुसार प्रतिवादी सं0 1, 2 व 4 को उक्त खसरा नम्बर 963 की भूमि में से 16 बीघा 03 बिस्वा के अलग खातेदार घोषित किया जावें तथा खसरा सं0 963 की भूमि में नजरी नक्शा अनुसार 04 बीघा 02 बिस्वा का प्रतिवादी सं0 8 को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जावें तथा इसी तरह खसरा सं0 1081 रकबा 24 बीघा 03 बिस्वा वाकै सरहद डाकीपुरा में से प्रतिवादी सं0 1 ता 4 व 6 का नाम हटाया जाकर 08 बीघा भूमि का नजरी नक्शा अनुसार प्रतिवादी सं0 5 को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जावें तथा खसरा सं0 1081 में से 12 बीघा भूमि में नजरी नक्शा अनुसार प्रतिवादी सं0 09 ता 11 को अलग स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी सं0 16 व 17 ता 20 को 03 बीघा का खातेदार घोषित किया जावें। तथा उसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने की डिक्री पारित करने की कृपा करावें तथा प्रतिवादी सं0 12 ता 15 व 18 ता 19 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें।
2. यह है कि खेत खसरा सं0 963 रकबा 24 बीघा 07 बिस्वा वाकै सरहद धनकोली व खसरा सं0 1081 रकबा 24 बीघा 03 बिस्वा वाकै सरहद डाकीपुरा की उपरोक्तानुसार पक्षकार के मध्य विधिवत बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य वाद में उपरोक्तानुसार संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खातेदारी घोषित की जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने की डिक्री वादी के पक्ष में जारी करने की कृपा करावें।
3. यह है कि वाद में उपरोक्तानुसार खसरा सं0 1081 में नजरी नक्शा अनुसार मार्क ए, बी, सी (12 फुट चौड़ा) रास्ता 03 बिस्वा भूमि आवागमन हेतु रास्ते की भूमि घोषित की जावें व प्रतिवादी सं0 06 व 07 एवं 12 ता 14 व 18, 19 का नाम खसरा सं0 963 व 1081 सरहद धनकोली व डाकीपुरा में से हटाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी का पेश हुआ।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवे[illegible] दीनी डिक्री सादिर किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 20 के सयुक्त कब्जा काश्त व पैत्रिक खातेदारी के खेत खसरा सं0 963 रकबा 24 बीघा 07 बिस्वा वाकै सरहद ग्राम धनकोली व खसरा सं0 1081 रकबा 24 बीघा 03 बिस्वा वाके सरहद ग्राम डाकीपुरा में इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है।

1. खेत खसरा सं0 963 रकबा 27 बीघा 07 बिस्वा वाकै सरहद ग्राम धनकोली में से नजरी नक्शा अनुसार वादी के हक व बंट की भूमि 04 बीघा 02 बिस्वा पर काबिज काश्त में आयी हुई तथा खसरा सं0 1081 रकबा 24 बीघा 03 बिस्वा वाकै सरहद डाकीपुरा में से नजरी नक्शा अनुसार वादी के हक व बंट की भूमि 04 बीघा पर काबिज काश्त घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादीगण सं0 1, 2 व 4 के हक हिस्से की भूमि :— खसरा सं0 963 रकबा 24 बीघा 07 बिस्वा वाकै सरहद धनकोली में से 16 बीघा 03 बिस्वा भूमि हक व बंट में आयी हुई तथा वर्तमान में नजरी नक्शा के अनुसार ही कब्जा काश्त घोषित किया जाता है।
3. खसरा सं0 1081 रकबा 24 बीघा 03 बिस्वा वाकै सरहद डाकीपुरा में नजरी नक्शा अनुसार 08 बीघा भूमि हक व बंट में आयी हुई है तथा वर्तमान में उसी अनुसार की कब्जा काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादीगण सं0 08 के हक हिस्से की भूमि :— खसरा सं0 963 रकबा 24 बीघा 07 बिस्वा वाकै सरहद धनकोली में नजरी नक्शा अनुसार 04 बीघा 02 बिस्वा भूमि में खातेदार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी सं0 9, 10 व 16, 17 व 20 के हक हिस्से की भूमि :— खसरा सं0 1081 रकबा 24 बीघा 03 बिसवा वाकै सरहद डाकीपुरा में नजरी नक्शा अनुसार 12 बीघा भूमि हक व बंट में आयी हुई है तथा वर्तमान में उसी अनुसार ही काबिज काश्त चली आ रही है। जिसमें प्रतिवादी सं0 9 के 03 बीघा प्रतिवादी सं0 10 के 03 बीघा व प्रतिवादी सं0 11 के 03 बीघा भूमि तथा प्रतिवादी सं0 16, 17, 20 के 03 बीघा भूमि में खातेदार घोषित किया जाता है।
6. खसरा सं0 1081 में आने—जाने हेतु 03 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार मार्क ए, बी, सी, रास्ता भूमि घोषित की जाती है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 19.09.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:55 IST
Reason: Self Attested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 51/2019 दायर दिनाँक 06.02.2019

वादी

1. गोरधनराम पुत्र भागुराम जाति मेघवाल उम्र 40 वर्ष निवासी पाबुपुरा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. मोहनराम पुत्र पुसाराम
2. नानूराम पुत्र पुसाराम (फौत)
2/1 सुरेश कुमार पुत्र नानूराम
2/2 बाबुलाल पुत्र नानुराम
2/3 केसर देवी पुत्री नानुराम
2/4 झमकु देवी पुत्री नानुराम
2/5 नन्दू देवी पत्नि नानुराम
2/6 राजेश पुत्र नानुराम
3. श्रवण कुमार पुत्र पुसाराम (फौत)
4. रामेश्वर लाल पुत्र पुसाराम
5. बालूराम पुत्र भागुराम
6. मुन्नी देवी पुत्री भागुराम
7. कनीदेवी पुत्री भागुराम
8. गोपाल पुत्र चूनाराम
9. शिवपाल पुत्र चूनाराम
10. कंवराराम पुत्र चूनाराम
11. मदनलाल पुत्र चूनाराम
12. सोनीदेवी पुत्री चूनाराम
13. कमला देवी पुत्री चूनाराम
14. सुखीदेवी पुत्री चूनाराम
15. उमी देवी पत्नि चूनाराम
16. कानाराम पुत्र गोगाराम
17. सुभाषचन्द पुत्र गोगाराम
18. ग्यारसी पुत्री गोगाराम
19. सरोज देवी पुत्री गोगाराम
20. पेमी देवी पत्नि गोगाराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण पाबुपुरा, धनकोली, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
21. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 19.09.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री लालसिंह गोदारा वकील वादी व श्री रामस्वरूप शर्मा वकील प्रति0 सं0 1, 4, 5, 8, 10, 11, 16 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 20 के सयुक्त कब्जा काश्त व पैत्रिक खातेदारी के खेत खसरा सं0 963 रकबा 24 बीघा 07 बिस्वा वाके सरहद ग्राम धनकोली व खसरा सं0 1081 रकबा 24 बी[illegible]स्वा वाके सरहद ग्राम डाकीपुरा में इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर [illegible]नुसा[illegible]तेदारी घोषित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

1. खेत खसरा सं0 963 रकबा 27 बीघा 07 बिस्वा वाकै सरहद ग्राम धनकोली में से नजरी नक्शा अनुसार वादी के हक व बंट की भूमि 04 बीघा 02 बिस्वा पर काबिज काश्त में आयी हुई तथा खसरा सं0 1081 रकबा 24 बीघा 03 बिस्वा वाकै सरहद डाकीपुरा में से नजरी नक्शा अनुसार वादी के हक व बंट की भूमि 04 बीघा पर काबिज काश्त घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादीगण सं0 1, 2 व 4 के हक हिस्से की भूमि :– खसरा सं0 963 रकबा 24 बीघा 07 बिस्वा वाकै सरहद धनकोली में से 16 बीघा 03 बिस्वा भूमि हक व बंट में आयी हुई तथा वर्तमान में नजरी नक्शा के अनुसार ही कब्जा काश्त घोषित किया जाता है।
3. खसरा सं0 1081 रकबा 24 बीघा 03 बिस्वा वाकै सरहद डाकीपुरा में नजरी नक्शा अनुसार 08 बीघा भूमि हक व बंट में आयी हुई है तथा वर्तमान में उसी अनुसार की कब्जा काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादीगण सं0 08 के हक हिस्से की भूमि :– खसरा सं0 963 रकबा 24 बीघा 07 बिस्वा वाकै सरहद धनकोली में नजरी नक्शा अनुसार 04 बीघा 02 बिस्वा भूमि में खातेदार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी सं0 9, 10 व 16, 17 व 20 के हक हिस्से की भूमि :– खसरा सं0 1081 रकबा 24 बीघा 03 बिसवा वाकै सरहद डाकीपुरा में नजरी नक्शा अनुसार 12 बीघा भूमि हक व बंट में आयी हुई है तथा वर्तमान में उसी अनुसार ही काबिज काश्त चली आ रही है। जिसमें प्रतिवादी सं0 9 के 03 बीघा प्रतिवादी सं0 10 के 03 बीघा व प्रतिवादी सं0 11 के 03 बीघा भूमि तथा प्रतिवादी सं0 16, 17, 20 के 03 बीघा भूमि में खातेदार घोषित किया जाता है।
6. खसरा सं0 1081 में आने–जाने हेतु 03 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार मार्क ए, बी, सी, रास्ता भूमि घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।
नीज..........–.......... मुबलिंग...........–............... बाबत.....................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–......... आज की तारीख को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **19.09.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल रकम जो कि चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner